रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2015/श्रावण 29, 1937
No. 219] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2015/SRAVANA 29, 1937

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2015

वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (एफओओ) आधार पर स्थापित विद्युत स्टेशनों से मध्यकालिक अवधि के लिए विद्युत की अधिप्राप्ति के दिशा-निर्देशों में संशोधन

सं. 23/17/2013-आरएंडआर (खंड-IV).—वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (एफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत केंद्रों से विद्युत की अधिप्राप्ति के संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 10 फरवरी, 2014 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-I-खंड-I) में प्रकाशित संकल्प संख्या 23/17/2013-आरएंडआर (खण्ड-II) के तहत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं।

फरवरी, 2014 के उक्त दिशा-निर्देशों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्:-

पैरा "जबकि केंद्र सरकार ने विभिन्न पणधारकों और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, विद्युत उत्पादकों से वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए एक आदर्श संविदात्मक ढांचा तैयार किया है जो मध्यावधि विद्युत के लिए 'वित्त, स्वामित्व और प्रचालन' (**"एफओओ"**) आधार पर ताप विद्युत स्टेशनों का निर्माण और/अथवा प्रचालन करने के लिए सहमत हों।"

निम्नलिखित के रूप में पढ़ा जाए:

"जबकि केंद्र सरकार ने विभिन्न पणधारकों और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, उन विद्युत उत्पादकों से, जो मध्यावधि विद्युत के लिए 'वित्त, स्वामित्व और प्रचालन' **("एफओओ")** के आधार पर अथवा विद्युत उत्पादकों के साथ बैक टू बैक प्रबंध रखने वाले व्यापारियों/डिस्कॉम से ताप विद्युत स्टेशनों का निर्माण और/अथवा प्रचालन करने के लिए सहमत हों, वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए एक आदर्श संविदात्मक ढांचा तैयार किया है।"

बिंदु संख्या 2 का पैरा "इन दिशा-निर्देशों का लागू किया जाना एक और पाँच वर्षों की अवधि के लिए पारस्परिक सहमति से आरंभिक करार अवधि 25% से कम के लिए और वर्ष के लिए इस अवधि को बढ़ाने के प्रावधान सहित विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए करार के अनुसार निर्मित और/अथवा प्रचालित परियोजनाओं तक ही सीमित होगा।"

निम्नलिखित के रूप में पढ़ा जाए:

"इन दिशा-निर्देशों का लागू किया जाना उन परियोजनाओं तक ही सीमित होगा जहां से एक और पाँच वर्षों की अवधि के लिए पारस्परिक सहमति से आरंभिक करार अवधि 25% तक अथवा एक वर्ष, जो भी कम हो, के लिए इस अवधि को बढ़ाने के प्रावधान सहित विद्युत की अधिप्राप्ति के करार के अनुसार विद्युत अधिप्राप्ति की जाती है।"

बिंदु संख्या 4 का पैरा "मॉडल बोली दस्तावेजों से कोई विचलन केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। बशर्ते यह कि मॉडल बोली दस्तावेजों में अभिव्यक्त रूप से अनुमति दिए गए किसी परियोजना विशेष संशोधनों का अर्थ मॉडल बोली दस्तावेजों से विचलन के रूप में ही लगाया जाएगा।"

निम्नलिखित के रूप में पढ़ा जाए:

" वितरण लाइसेंसियों द्वारा मॉडल बोली दस्तावेजों से कोई विचलन उपयुक्त आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। बशर्ते यह कि मॉडल बोली दस्तावेजों में अभिव्यक्त रूप से अनुमति दिए गए किसी परियोजना विशेष संशोधनों का अर्थ मॉडल बोली दस्तावेजों से विचलन के रूप में नहीं लगाया जाएगा।"

इसके अतिरिक्त, नई कोयला ब्लॉक नीलामी नीति को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के संकल्प सं. 23/9/2015-आर एंड आर के माध्यम से डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत केंद्रों से विद्युत की अधिप्राप्ति के दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन **यथावश्यक परिवर्तनों** सहित, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (एफओओ) आधार पर स्थापित विद्युत स्टेशनों से मध्यकालिक अवधि के लिए विद्युत की अधिप्राप्ति पर भी लागू होंगे।

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 20th August, 2015

Amendments to the Guidelines for Procurement of Electricity for Medium Term from Power Stations set up on Finance, Own and Operate (FOO) basis

No. 23/17/2013-R&R (Vol-IV).—The revised guidelines for procurement of electricity from Thermal Power Stations set up on **Finance, Own and Operate (FOO) basis** have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide resolution No. 23/17/2013-R&R (Vol-II) published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I—Section 1) on 10th February, 2014.

The following amendments are hereby made in the said guidelines of February, 2014 namely:-

The Para "Whereas the Central Government has, after extensive consultations with various stakeholders and experts, evolved a model contractual framework for procurement of electricity by the distribution licensees from power producers who agree to construct and/or operate power generating stations set up on 'Finance, Own and Operate ("FOO") basis for medium term power".

May be read as under:

"Whereas the Central Government has, after extensive consultations with various stakeholders and experts, evolved a model contractual framework for procurement of electricity by the distribution licensees from power producers who agree to construct and/or operate power generating stations set up on 'Finance, Own and Operate ("FOO") basis for medium term power or from Traders/Discoms having back to back arrangements with power producers".

The para at point No. 2 "The application of these Guidelines shall be restricted to projects constructed and/or operated in accordance with an Agreement for procurement of Power for a period of between one and five years, with a provision for extension of this period for the lower of 25% of the initial contract period and one year, with mutual consent."

May be read as under:

"The application of these Guidelines shall be restricted to projects from which power is procured in accordance with an Agreement for Procurement of Power for a period between one and five years, with a provision for extension of this period upto 25% of the initial contract period or one year whichever is lower, with mutual consent."

The para at point No. 4 "Any deviation from the Model Bidding Documents shall be made only with the prior approval of the Central Government. Provided, however, that any project specific modifications expressly permitted in the Model Bidding Documents shall not be construed as deviations from the Model Bidding Documents."

May be read as under:

"Any deviation from the Model Bidding Documents shall be made by the Distribution Licensees only with the prior approval of the Appropriate Commission. Provided, however, that any project specific modifications expressly permitted in the Model Bidding Documents shall not be construed as deviations from the Model Bidding Documents."

Further, the amendments made in the Guidelines for Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on Design, Build, Finance, Own and Operate (DBFOO) basis vide Ministry of Power Resolution No. 23/9/2015-R&R dated 16th April, 2015 in view of new coal block auction policy, shall also apply, ***mutatis mutandis,*** for procurement of electricity for Medium Term from Power Stations set up on Finance, Own and Operate (FOO) basis.

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.